बिहार विधान सभा वाद-वृत्त

सोमवार, तिथि ११ सितम्बर १९५०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण

सभा का अधिवेशन रांची के सभा वेश्म में सोमवार तिथि ११ सितम्बर, १९५० को २ बजे मध्याह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

Starred Question and Answers

दरभंगा जिला में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सड़कों की मरम्मती की आवश्यकता।

(a) *७५। *श्री सुन्दर महतो पासी*:—क्या माननीय मंत्री, स्थानीय स्वायत शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सन १९४८, १९४९ और १९५० में कितना-कितना रुपया किस-किस काम के लिये दिया गया,

(ख) क्या यह बात सही है कि इस जिला की सड़कें इस तरह खराब हो गई हैं कि आदमी तथा सवारी को चलने में काफी कठिनाई होती है, यदि 'हां' तो इसके प्रतिकार के किये सरकार क्या कर रही है?

माननीय पण्डित विनोदानन्द झा:—(क) विवरण मेज पर रख दिया गया है।

(ख) हां। जिलामें बाढ़ आने से सड़कें डूब जाता हैं। सरकार ने इन सड़कों को पहले जैसी हालत में लाने के लिये १४ लाख ८० हजार रुपया दिया है और उसके एलावे ५ लाख रुपया और दिया है इस तरह २१ लाख रुपया इसकाम में खर्च किया जायगा।

श्री जयनारायण विनीत:—क्या १९४८, १९४९, १९५० में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिये गये रुपयों का टोटल नहीं बताया जा सकता है?

माननीय पण्डित विनोदानन्द झा:— इतना बड़ा एस्टेटमेंट है जिसका विवरण चार पेज में है। मैंने २ रुपये से लेकर २ लाख तक का ब्योरा दे दिया है।

माननीय अध्यक्ष:— ऐसे प्रश्न तो वास्तव में अतारांकित हैं। इसलिये इन पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।

पंडित धनराज शर्मा:—क्या सरकार को मालूम है कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कोयला न मिलने के कारण ईंट नहीं पका सका जिससे ठीकेदारों को ईंटा नहीं मिल सका और पक्की सड़कों की मरम्मत नहीं हो सकी।

श्री शंकर नाथः – १२, १३ और १४ आदमी की संख्या नियुक्त करने का आधार क्या है ?

माननीय डा० अनुग्रनारायण सिंहः— लोकल अफसरों की सिफारिश पर किया गया है ।

श्री शंकर नाथ.—जन संख्या क आधार पर नियुक्ति क्यों नहीं को गई है ।

माननीय डा० अनुग्रह नारयण सिंहः— जरुरत नहीं समझी गई ।

नमक में चोर बाजारी ।

*११० *श्री नन्दकिशोर नारायण लालः*— क्या माननीय मंत्री, पूर्ति और मूल्य नियंत्रण विभाग, यह बताने को कृपा करेगे कि

(क) मीरगंज जाने में किन–किन बाजारों में किन-किन रीटेल नमक बेचन वाले द्वारा नमक बेचने का प्रबन्ध है, और कौन इम्पोर्टर हैं जिसे वैगन की सुविधा दी जाती है

(ख) क्या यह बात सही है कि मीरगंज का नयक इम्पोर्ट पांच रुपया दस आने बोरा नमक को आठ रुपया बोरा लेकर रीटेल नमक बेचनेवाले को कुछ देता है और बाकी नमक स्वयं अपन भाई, लड़के और नौकर के नाम रीटेल डीलर बना कर उनके नाम से कोटा लेकर मीरगंज बाजार में दस रुपया बारह आने बोरा तक बेच देत है ;

(ग) क्या यह बात सही है कि मीरगंज में सीधे व्यपारियों द्वारा मंगाया हुआ नमक ग्यारह रुपया बोरा तक खुले बिकता है और सरकार द्वारा बहाल किए इम्पोर्टरों के नमक का भाव पांच रुपए दस आने प्रति बोरा निर्धारित है जिसे वे ब्लैक से सीधे व्यपारियों के नमक के भाव से बेचते हैं ;

(घ) क्या यह बात सही है कि मीरगंज बाजार से ही नमक मोरे, और कटेया थानाओं के बाजारों में भी जाता है जो वहां से २० मील से २५ मील तक है ?

माननीय डा० अनुग्रनारायण सिंहः—(क) इस सम्बन्ध में एक लिस्ट लाइब्रेरी के पटल पर रख दी गई है ।

(ख) सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

(घ) नमक हथुआ रेलवे स्टेशन पर उतरता है और वहीं से मोरे तथा कटैया के बाजार में जाता है । क्योंकि मोरे या कटैया में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है ।

श्री झूलन सिंह :— अध्यक्ष महोदय, मेज पर कोई स्टेटमेंट नहीं रखा हुआ है ।

---

* प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति में श्री शंकर नाथ के निवेदन करने पर उत्तर दिया गया ।

पण्डित घनराज शर्मा :— जो खबर सरकार के पास है क्या उस पर सरकार उचित कारवाई करेगी ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह:— कोई खबर सरकार के पास नहीं है।

माननीय अध्यक्ष :— यह सूचना मन्त्री मंडल को दे दी गई है कि जब कभी कोई विवरण मेज पर रखना हो उसको सभा के कार्य शुरू होने के पहले मेज पर रख देना चाहिये जिससे माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने में सुविधा हो। मालूम पड़ता है कि अभी तक इस आदेश का किसी कारण से पालन नहीं हो सका है। सरकार की ओर से इसको पालन करने की कोशिश जरूर होगी।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह :— जरूर की जायगी।

Shri Murli Manohar Prasad:— Will Government be pleasad to state if the information sought for in (ख) and (ग) could have been obtained after the receipt of the notice of the question ?

The Hon'ble Dr. Anugrah Narain Siiha:— It is a hypothetical question.

Shri Murli Manohar Prasad:— I want to put the question if the information sought for in (KH) and (G) sould have been obtained after the receipt of the notice of the question ?

The Hon 'ble Dr. Anugrah Narain Siuha:—Yes st could have been obtained.

Shri Murli Manohar Prasad:— Will Government be pleased to state if they have taken note of the informatiou contained in (KHa) and (Ga) ?

The Hon 'ble Dr. Anugrah Narein Sinha:— It is a request for action.

Shri Murli Manohar Prased:— I want to say if the Government have taken note of the information contained (KHa) and (Gn) ?

The Hon , bleDr. Anugrah Narain Sinha:— Certainly we have taken note of it.

सरदार हरिहर सिंह :— क्या यह सही है कि मीरगंज का नमक का इम्पोर्टर अपने भाई, लड़के और नौकर को नमक का रीटेल डीलर बना कर उनके नाम से कोटा लेकर मीरगंज में दस रुपये बारह आने बोरा तक बेच रहा है ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह :— मुझे इसकी खबर नहीं है।

श्री भूलन सिंह :— क्या सरकार जानने की कोशिश करेगी कि सवाल में जो विवरण दिया गया है वह सही है या गलत ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह :— कोशिश जरूर हुई है।

श्री भूलन सिंह :— सरकार के पास कोई कागज है जिससे पता चले कि कोशिश हुई थी ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह :— कागज़ तो अवश्य है लेकिन वह कागज पेश नहीं किया जा सकता।

श्री भूलन सिंह :— क्या कोई ऐसा कागज है जिससे समझा जाय कि कोशिश हुई थी।

(उत्तर नहीं दिया गया)

Shri MURLI MANOHAR PRASAD :— I request you to convey to the Hon'ble Minister that when a question is put and information is sought for from the District Magistrate or other officers the requered information my be given after the receipt of the notice of the question ?

The Hon'ble the SPEAKER :— The Hon'ble Minister concerned conveys to the Aon'ble member the answer which comes from the department. What else is the Hon'ble Minister to do ? If the hon'ble member who has put the question wants to pursue further, he may do so here by putting supplementaries.

Shri MURLI MANOHAR PRASAD :— I would like to say that partial answer are given. Answers are received from the man on the spot. Surely it is up to the department to toll the man on the spot that he must give full answer.

The Hon'ble the SPEAKER :— If it is proved before me that the answers are incomplete, I would certainly ask the Hon'ble Minister to complete the answer. The Hon'ble member who has put the question may insist that the information when made available should be placed before the House.

Shri MURLI MANOHAR PRASAD :— That is not my point. 15 days' notice is given. Questions are sent out to the people on the spot asking them to furnish proper relies. The department must insist on those people for furnishing proper replies and not answer in a haphazard way so that Government is compeled to say that the information is not available.

The Hon'ble the SPEAKER :— It has to be proved that the anwers are geven in a haphazard way.

Sri MAHAMMAD ABDUAL GHANI :— I hope the Hon'ble member will give notice to raise a debate.

Shri MAHESH PRASAD SINHA :— Sir, you have said that the member who has put this question has a right to get the answer clarified. I would like to submit that it is not the member only, but the members of the entire House who have got the right if the answer is not clear or is ambiguous to put supplementary questions for clarification of the answer given.

The Hon'ble the SPEAKER :— Most certainly every Hon'ble member has the same right.

Shri MAHESH PRASAD SINHA :— My second point is, Sir, you are the judge here to see whether the answer to a particular question is satisfactory or not ...

The Hon'ble the SPEAKER :— The hon'ble member will have to convince me that the answers are unsatisfactory. I must have materials before me to judge the answers to any questions are satisfactory or not at a particular stage.

Shri MAHESH PRASAD SINHA :— Sir, I take the liberty to draw your attention to the answer to खंड (ख) to which the reply of Government is that information is not available, although I understand that the local officers were asked to ascertain the truth.

माननीय अनुग्रहनारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि इस पर इतनी बहस क्यों की जा रही है। जो सवाल पूछा गया; उसे लोकल अफसर के पास भेज दिया गया था और जितने इनफौरमेशन मिल सके उन्हें हाउस के सामने रख दिया गया है। नमक पर कोई कंट्रोल नहीं है और इसलिए वह किसी भाव पर बेचे, सरकार पर इसको कोई जवाबदेही नहीं है। अगर यह भी लिखा रहता कि कौन आदमी १० रु० बोरा बेच रहा है तो इसे pursue किया जाता। नाम नहीं रहने पर क्या वहां के हरेक आदमी से ब्यान लिया जाय और तब इसका जवाब दिया जाय? ऐसा करने में तो महीनों लग जायेंगे।

श्री शक्तिकुमार:—अध्यक्ष महोदय, मैं ने भी पिछले अधिवेशन में गत साल एक चीज के बारे में सवाल किया था और सरकार की तरफ से ...

माननीय अध्यक्ष:—शान्ति, शान्ति। That Questions does not arise to day.

श्री शक्तिकुमार:—मेरे सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से

माननीय अध्यक्षः—शान्ति, शान्ति । आप बैठ जांय ।

श्री जगन्नाथ सिंहः—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि मीरगंज के इम्पोर्टर ने अपने भाई, लड़के और नोकर को रीटेल डीलर बना दिया है ?

माननीय डा० अनुग्रहनारायण सिंहः—अगर सही बात हो तो कौन कसूर किया है कि इसे पूछा जा रहा है ।

कई माननीय सदस्यः—क्या सरकार इसे मानती है ?

माननीय डा० अनुग्रहनारायण सिंहः—हम इसे मानते नहीं हैं लेकिन आप-लोगों के कहने पर ऐसूम करते हैं ।

माननीय अध्यक्षः—शान्ति, शान्ति । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां इम्पोर्टर एक ही है या एक से ज्यादा है ?

श्री नन्दकिशोर नारायण लालः—मीरगंज थाने के लिए एक ही इम्पोर्टर है ।

श्री जगन्नाथसिंहः—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार इसकी जांच करायगी जिसका यथोचित उत्तर नहीं मिला ।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंहः—इस में जांच करने की कौन बात है । अगर उसने किसी आदमी को रिटेल डीलर बना लिया है तो कानूनन उसे रोका नहीं जा सकता है । अगर आप चाहें कि वहां कौन २ रिटेल डीलर है तो इसे मंगा दिया जायगा लेकिन इससे हमारे ऐडमिनिस्टरेशन से क्या मतलब है ?

पंडित धनराजशर्माः—क्या सरकार यह बतलायेगी कि जब कि इम्पोर्टर के नमक का भाव पांच रुपये दस आने प्रति बोरा निर्धारित है तो क्या उसे बाजार में १० रु० १२ आने बोरा तक बेचने का अधिकार है ?

माननीय डा० अनुग्रहनारायण सिंहः—बात यह है कि नमक के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है । इम्पोर्टर के सिवाय और लोग भी नकम मंगाते हैं और जिस दर से वे लोग खरीदेंगे, मुनाफा के ख्याल से कुछ ज्यादा दाम पर बेचेंगे । जब फ्री मारकेट है तब किसी भाव पर बेचने पर कोई रुकावट कैसे डाली जा सकता है ?

पंडित धनराज शर्माः—इस में लिखा हुआ है कि मीरगंज का नमक इम्पोर्टर बाकी नमक को स्वयं अपने भाई, लड़के और नौकर के नाम रिटेल डीलर बना कर उनके काम से कोटा लेकर मीरगंज बाजार में दस रुपये बारह आने तक बेच देता है तो क्यों उसे ऐसा करने दिया जाता है ।

माननीय अध्यक्षः—इसमें उसका नाम क्यों नहीं दिया हुआ है ।

पंडित धनराज शर्माः—प्रश्नकर्त्ता ने तो कहा है कि वहां पर एक ही नमक का इम्पोर्टर है, तो जब कंट्रोल नहीं है तो इम्पोर्टर क्यों बहाल किया गया है ।

माननीय अध्यक्षः—वैगन का कोटा देने के लिए ।

श्री धनराज शर्माः—अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि इनक्वाइरी किया गया और अफसर ने जो प्रश्न का जवाब दिया वह नाकाफी था तो क्या प्रश्न कर्त्ता का कहना सही है ।

(कोई उत्तर नहीं दिया)

श्री जगतनारायण लाल:—अगर कोई इनपोर्टर नियुक्त किया गया है तो

माननीय अध्यक्ष:—"अगर" से कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है। य हतो कंडीसनल हो जायगा।

श्री जगतनारायण लाल:—इस में डीफीनिटली कहा गया है कि नमक १०रु० १२ आने बोरा बेचा गया तो मेरा सवाल यह उठता है कि अगर

माननीय अध्यक्ष:—'अगर' से प्रश्न नहीं उठता है।

श्री जगतनारायण लाल:—सवाल (ग, में साफ है कि नमक ग्यारह रुपया बोरा तक खुलेआम बिकता है और सरकार द्वारा बहाल किए गए इम्पोर्टरों के नाम का भाव पांच रुपये दसआने प्रति बोरा निर्धारित है तो मेरा प्रश्न है कि क्या यह बात सही है कि नमक का भाव ५ रुपये १० आने प्रति बोरा निर्धारित है।

माननीय डा० अनुग्रह नारायणसिंह:—जितना सवाल पूछा जा चुका है उसका जवाब मैं ने दे दिया है। इसके अलावे मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री जगतनारायन लाल:—अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का उत्तर देने का मतलब है कि वे रोक लगाना चाहते हैं। वे उत्तर देने से हटना चाहते हैं। डीफीनीट इनफोरमेशन नहीं देना चाहते हैं। हजूर प्रश्न, इसलिए पूछा जाता है कि मेम्बरों को डिफीनीट इनफोरमेशन मिले और जो दोषी हो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई करे। अगर यह नहीं होता है तो प्रश्न पुछना ही बेकार जाता है। मैं यो यह जानना चाहता हुँ कि नमक ५ रुपये १० आने मन बोरा बिकता है या नहीं।

माननीय अध्यक्ष:—सरकार ने कहा ह कि कोई खबर नहीं हैं।

श्री जगतनारायण लाल:—तो यह कहें कि इनफोरमेशन मंगा कर पीछे देंगे।

धनराज शर्मा—प्रश्नकर्त्ता से पूछा जाय कि कौन इमपोर्टर

माननीय अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। इस पर और पूरक मैं पूछने नहीं दुंगा। अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि उत्तर पुरा नहीं है तो वे एक प्रस्ताव मेरे पास भेजे कि इस विषय पर वे वाद विवाद चाहते हैं और तब मैं इस पर विचार करूंगा। (हेयर हेयर)

प्रश्न संख्या—१११

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १११

श्री नन्दकिशोर नारायण लाल : मैं नहीं पूछूंगा। जनता को कोई लाभ नहीं है बल्कि ब्लैकमारकेटींग बढ़गी। जिस ढंग से यह कहा गया है।

माननीय अध्यक्ष : सभा की मर्यादा के विरुद्ध है। अगर माननी य सदस्य प्रश्न पूछना नहीं चाहते हैं तो उनको यह अख्तियार था कि वे उठ कर बाहर चले जाते या चुप बैठे रहते किन्तु यह कहना कि "मैं नहीं पूछूंगा" सर्वथा अनुचित है।

श्री नन्दकिशोर नारायण लाल : Sir, मैंने इसलिए कहा कि जब हमलोग नोटिस देते हैं तो लिखते हैं I interd to move the plioning questions. जब जनता को लाभ नहीं होने को है तो क्यों प्रश्न पूछं।